भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 07/12/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 20 सितंबर, 2023

जांच शुरूआत अधिसूचना
(मामला संख्याः (एसएसआर - 06/2023)

विषय- चीन जन.गण. से "सोलर मॉड्यूल के लिए एथीलिन विनायल एसीटेट (ईवीए) शीट" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, मै. रिन्यूशिस इंडिया प्रा.लि.(जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोलर मॉड्यूल के लिए एथीलिन विनायल एसीटेट (ईवीए) शीट" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच करने का अनुरोध किया गया है।

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण., मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया तथा थाइलैंड के खिलाफ मूल जांच की शुरूआत अधिसूचना सं. 06/9/2018-डीजीएडी, दिनांक 04.04.2018 के माध्यम से शुरू की गई थी । तथापि यह जानने के बाद के बाद कि दक्षिण कोरिया से आयात की मात्रा न्यूनतम सीमा से कम थी, चीन जन.गण., मलेशिया, सऊदी अरब और थाइलैंड से आयातों के विरूद्ध अंतिम जांच परिणाम सं. 06/9/2018-

डीजीएडी दिनांक 21.02.2019 के माध्यम से शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी । ये शुल्क सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 15/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 29.3.2019 के माध्यम से लगाए गए थे । घरेलू उद्योग ने केवल चीन जन.गण. के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए आवेदन दायर किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जांच की अवधि में सऊदी अरब, थाईलैंड और मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ है।

3. अधिनियम की धारा 9 क, (5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाए तो उसे लगाने की तारीख से 5 वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है। प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है । इसके अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृति होने की संभावना है ।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन है उत्पाद वही है जैसा मूल जांच में परिभाषित था, जो निम्नानुसार है :

"सोलर माड्यूल के लिए एथिलीन विनाइल एसिटेट (ईवीए) शीट" । यह सोलर पीवी (फोटो वोल्टेक) माड्यूल के विनिर्माण में प्रयुक्त पॉलिमर आधारित घटक है। ईवीए शीट का प्रयोग एधेशन और कुशनिंग कार्यों के निष्पादन हेतु सौर पीवी सेलों के एनकेप्सुलेशन के लिए किया जाता है। यह एक सर्वाधिक अनिवार्य घटक है जो ग्लास, सेल और बैकशीट को जोड़े रखता है और उसके प्रयोग काल के दौरान माड्यूल को यांत्रिक रूप से सहारा देता है।

5. ईवीए शीट एक्सट्रूजन तकनीक के प्रयोग से निर्मित प्लास्टिक शीट और फिल्मों की श्रेणी में आती है । यह एक पॉलीएथीलीन का कोपॉलीमर थर्मोप्लास्टिक मैटीरियल है जिसे मुख्यत: ट्यूबलर या ऑटो फ्लेव प्रक्रिया के प्रयोग से पॉलीमराइज किया जाता है । विचाराधीन उत्पाद को आम तौर पर एच एस कोड 3901 30, 3920 10, 3920 62, 3920 99 तथा 3921 90 के अंतर्गत आयातित किया जाता है । तथापि, आयात अन्य एच एस कोडों के अंतर्गत ही हो रहे हैं । अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि एच एस कोड केवल सांकेतिक हैं और सभी स्थितियों में उत्पाद का विवरण लागू होगा ।

6. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद पहले की गई गई जांच में यथापरिभाषित के समान रहेगा ।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में यह माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित किए जा रहे उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयातित किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु हैं । वर्तमान आवेदन मूल शुल्क का समय बढ़ाने के लिए समीक्षा के लिए है और चूंकि वर्तमान और मूल जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद समान है, इसलिए प्रथमदृष्टया यह माना गया है कि घरेलू उद्योग द्वाराउत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु "समान वस्तु" हैं ।

ग. संबद्ध देश

8. मूल जांच में शुल्क चीन, मलेशिया, थाइलैंड तथा सऊदी अरब से आयातों के विरूद्ध लगाए गए थे । तथापि वर्तमान आवेदन केवल चीन से आयातों के विरूद्ध शुल्क को जारी रखने/विस्तार के लिए किया गया है । इस प्रकार वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश चीन जन.जन.गण. है ।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह याचिका मै. रीनिवसिस रेनेवेबल प्रा. लिमिटेड द्वारा दायर की गई है और मै. विशाखा रेनेवेबल्स प्रा. लि., नवीटास एल्फा रेनेवेबल प्रा. लिमिटेड, अलीशान ग्रीम एनर्जी प्रा.लि., इनरलाइट सोलर फिल्म्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, फिल्मटेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड, पिक्सोन ग्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, और ईसीएपी ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित है । आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का "एक प्रमुख हिस्सा" बनता है । इसके अलावा, आवेदक और समर्थकों के उत्पादन का कुल भारतीय उत्पादन में काफी अधिक हिस्सा बनता है । आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने न तो पीयूसी

का आयात किया है और न ही चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु से किसी आयातक से संबंधित है । उपरोक्त के मद्देनजर और जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदकन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. पाटन के जारी रहने और पुनरावृति की संभावना

i. सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है । आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं । आवेदक ने बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए ।

11. प्राधिकारी ने इस जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य पर घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और उसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ को जोड़ने के बाद विचार किया है ।

ii. निर्यात कीमत

12. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत गौण स्रोत से तथा उनकी बाजार आसूचना से लिए गए आंकड़ों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा परिकलित की गई है । तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विचार किया है । समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय, और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं ।

iii. पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के संबंध में काफी अधिक है । इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन का पाटन किया जा रहा है ।

च. क्षति के जारी रहने या पुनरावृति होनेकी संभावना

14. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है ।

15. आयात की मात्रा और मूल्य, संबद्ध देश से आयात कीमत, सकारात्मक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, घरेलू उद्योग के निष्पादन जो काफी घट गया है, चीन के उत्पादकों के पास उपलब्ध भारी क्षमताओं, चीन के उत्पादकों द्वारा क्षमता विस्तार, भारतीय उद्योग की संवेदनशीलता पर विचार करते हुए शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और परिणामी क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं । आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रथम दृष्टया पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की संभावना दर्शाती है ।

छ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

16. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से सांक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और पाटन तथा क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना को सिद्ध करते हुए, आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

ज. <u>जांच की अवधि</u>

17. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 (12 माह) की है । क्षति जांच अवधि में 2019-20, 2020-21 और 2021-22 तथा जांच की अवधि शामिल होगी । पाटन और क्षति की संभावना निर्धारित करने के लिए जांच अवधि के बाद के आंकड़ों की भी जांच की जा सकती है ।

झ. प्रक्रिया

18. वर्तमान समीक्षा जांच में अधिसूचना सं. 6/9/2018-डीजीएडी, दिनांक 21 फरवरी, 2019 के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं । प्राधिकारी पाटन और क्षति का संभावना विश्लेषण भी करेंगे ।

19. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in., jd13-dgtr@gov.in adv11-dgtr@gov.in, तथा adg13-dgtr@gov.in, पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जानेचाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

21. संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर विहित समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में यथाविहित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जांच शुरूआत अधिसूचना, ए डी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी

द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में यथाविहित ढंग और पद्धति वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ए डी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in. jd13-dgtr@gov.in adv11-dgtr@gov.in, और adg13-dgtr@gov.in, पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और ए डी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

27. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है वहां उसे ए डी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

29. ऐसे अनुरोधों में प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए । ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी से किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी ऐसे अनुरोधों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

31. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के आधार पर इस आशय के कारणों का एक पर्याप्त विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है ।

32. गोपनीयता के दावे के संबंध में उसके किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के

अनुसार पर्याप्त और उचित कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा ।

ड. **<u>सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण</u>**

33. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश भेज दें ।

ढ. **<u>असहयोग</u>**

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी